भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

03AA 545567

जिला अवर निबंधक कोडरमा मुहर

सत्यमेव जयते

अभिप्रमाणित छाया प्रति
दस्तावेज सं0 5237 -वर्ष 2002

वा0.जि0.नि0
कोडरमा
20/1/2021

20/1/2021

5309

Trust-Ps Koder St 62 / Trust money 5600/-

5237

64

An) 240 -
N(s) 36 -
276 -

" न्यास हेतु घोषणा पत्र "

18710

{1} न्यास का नाम :- वीर झारखण्ड विकास सेवा मंच न्यास

{2} न्यास का कार्य क्षेत्र:- सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश ।

{3} न्यास का प्रधान कार्यालय:- लोचनपुर, थाना- कोडरमा, जिला-कोडरमा

{4} न्यास का अनुदान राशि:- 5,600/-

{5} न्यासियों का नाम :-

{1} श्रीमती नीलम प्रजापति, पति श्री अरूण पंडित, ग्राम- चेचाई

{2} श्री भोला प्रसाद यादव पिता स्व0 मानिक महतो, ग्राम- लोचनपुर,

{3} श्रीमती शीला देवी पति श्री सुभाष रजक, ग्राम- लोचनपुर ,

{4} श्री अजय कुमार वर्मा , पिता श्री राजकुमार वर्मा, ग्राम- लोचनपुर,

{5} श्रीमती सलोमी टोपो पति श्री अनील हांसदा

{6} श्री मधु सुदन ठाकुर पिता स्व0 सत्यनारायण ठाकुर, ग्राम- लोचनपुर,

{7} श्री हरिशंकर मौर्य पिता श्री अर्जुन प्रसाद , ग्राम- लोचनपुर,

न्यास का उद्देश्य:-

{क} संगीत एवं नाट्य की चौमुखी विकास के लिए संगीत एवं नाट्य एकेडमी जैसी समूह का संचालन करना ।

(1) भोला प्रसाद यादव (2) नीलम प्रजापति (3) शीला देवी (4) अजय कुमार वर्मा (5) मधुसूदन ठाकुर (6) हरिशंकर मौर्य (7) सलोमी टोपो

जिला अवर निबंधक कोडरमा

॥ई॥ शिक्षा पर्यावरण, स्वास्थ्य एकेडमी जैसी - कार्य का संचालन करना।

॥ज॥ नाट्य तथा संस्कृति कार्यक्रमों का प्रदर्शन करना आदिवासी कला अल्पसंख्यक कला, एवं उनके संस्कृति को प्रोन्नति तथा हिमालयन की संस्कृतियों का प्रचार प्रसार करना ।

॥झ॥ संगीत प्रशिक्षण के लिए गायन वंदना नृत्य का प्रशिक्षण देना चलचित्र की उन्नति साहित्य तथा ललितकलाओं का प्रचार प्रसार करना ।

॥ट॥ संगीत प्रशिक्षण के लिए चलचित्र की उन्नति साहित्य तथा ललितकलाओं के प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा प्रदर्शन करना।

॥ठ॥ क्षेत्र के लोगों में सांस्कृतिक चेतना एवं शारीरिक मानसिक विकास की दिशा मे नाट्क प्रहसन कीर्तन कव्वालीसंगीत व्यायाम योगाभ्यास आदि कार्यों का आयोजन प्रशिक्षण एवं संचालन करना ।

॥ड॥ अनुसूचित जाति जन जाति अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के समुचित प्रयास करना तथा उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना । अ० जाति० अ० जन जाति अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछडे वर्गो के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक एवं मानसिक एवं बौद्धिक विकासार्थ उनके प्रवृतियों के अनुसार प्रशिक्षण शिविर गोष्ठी वाद

जिला अवर निबंधक कार्यालय मुहर सत्यमेव जयते

विवाद प्रति योगिता का आयोजन करना ।

(ग) अ0 जाति जन जाति समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक एवं रोजगार विहिन युवकों युवतियों के लिए रोजगारोन्मुख व्यवसायी केन्द्र व सरकार के सहयोग स्थापित कर संचालितकरना शिक्षण कार्य- क्रम बनाना व तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन रना अ0 जाति , जन जाति अल्प संख्यक पिछड़े बालक एवं बालिकाओं के लिए समुचितशिक्षा उपलब्ध कराना साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सर्वे शिक्षा केन्द्रों एवं पूर्ण शिक्षा का संचालन करना तथा हिन्दी प्रचार प्रसार करना है।

(2) क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के विकासार्थ विविध कार्य क्रमों का संचालित करना मैट्रिक मिडिल प्राईमरी स्तर के प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्य क्रम एवं वर्षीय , दो वर्षीय , प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षण पाठ्य क्रम गरीब एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता का प्रचार योजना सामाजिक आर्थिक कार्य क्रम के अन्तर्गत उत्पादन एक एक डायरी एक- एक एवं समाज कल्याण के संबंधित सभी कार्य कलापों का संचालन करना परिवार परामर्श केन्द्र का स्थापना पालन घर , अवकाश गृह शिविर एवं पौष्टिक आहार कार्य क्रम का संचालन करना काम काजी महिलाओं के लिए उनके सर्वांगिन विकास तथा उनके आत्म निर्भरता

जिला अवर निबंधक कोडरमा
सत्यमेव जयते
मुहर

के लिए उनके समुचित प्रयास करना महिलाओं के शोषण का अन्त करना उनके सामाजिकउत्पीडन को दूर करना इसके लिए विभिन्न स्तरों पर सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करनाविपदा ग्रस्त निराश्रित विधवा परित्यागयुक्त एवं समाज के बहिष्कृत महिलाओं के विकास के लिए हर प्रकार के शिक्षण कलाओं का संचालन करना ।

(3) दहेज प्रथा समाज का एक बहुत ही भयंकर बीमारी है इसे उखाड कर फेंकने के लिए पूरे क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों का संचालन करना ।

(4) महिलाओं को रोजगार के लिए सिलाई कटाई बुनाई एवं दरी कालीन तथा पूर्ण सभी प्रकार के कुटिर उद्योग एवं लघु प्रशिक्षण एवं समुचित व्यवस्था करना ।

(5) किसानों के लिए खादी बीज एवं औषधि तथा उनके विकास के लिए समुचित प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल का व्यवस्था का कार्य करवाना तथा सिंचाई का समुचित व्यवस्था करना ।

(6) शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए उच्च कोटि का पुस्तकालय का व्यवस्था हर जिले में करवानातथा प्रत्येक जिले का विकास दृष्टिकोण से युद्ध स्तर पर करवाना ।

(7) पोषाहार कार्यक्रम चलाना बालवाडी आंगनवाडी बाल शिक्षा महिला कल्याण तथा युवाकल्याण के विकास के अनेकों कार्यक्रम का संचालन करना ।

(8) न्यास निम्नांकित जन कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करेगी ।
अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कल्याण कार्य शारीरिक एवं मानसिक रुप से विकलांग कल्याणकुष्ठ निवारण कार्यक्रम लावारिस बच्चों के कल्याण भिक्षाटन प्रथा रोक थाम असहाय वृद्धों का कल्याण असहाय बच्चों एवं महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवंपुनर्वास कार्यक्रम मादक द्रव निरोध निवारण पुनर्वास कार्यक्रम विभिन्न किशोर एवं असहाय व्यस्क के सामाजिक शोषित रोक थाम एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रम विकालांगों को कृतिम अंग या उपकरण की उपलब्ध एवंकल्याणार्थ तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एवं कल्याण तथा समाज कल्याण से संबंधित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना ।

(9) परिवार कल्याण स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन करना जन संख्या नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर परिवार कल्याण कार्यक्रमों कोसफल बनाना
बंध्या चिकित्सा नेत्रदान का संचालन तथा एड्स के रोकथाम के लिए कार्यक्रम करना ।

ɪ10ɪ न्यास पर्यावरण कीरक्षा सर्वात्म प्राथमिकतादी इस कार्य क्रम के अन्तर्गत सामाजिकवानिकी वृक्षारोपण एवं पर्यावरण प्रदूषण संबंधी कार्य क्रमों का संचालन करेगी तथा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का समुचित प्रयास करेगी ।

ɪ11ɪ साम्प्रदायिक सद्भावना कायम करना छुआ-छूत नशाबन्दी दहेज प्रथा उन्मूलन अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित वेश्यावृति को समाप्त करके जाति- पाति का भेद भाव मिटाने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए प्रचार प्रसार करना तथा पुरा तत्व से संबंधित कार्य करना ।

ɪ12ɪ ग्रामीण शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में सुलभ शौचालय सौर उपकेन्द्रों की स्थापना लघु एवं कुटिर उद्योगों जैसे मधु मक्खी पालन मुर्गी पालन मछली पालन गोपालन सुअर पालन दुग्ध उत्पादन चर्मोद्योग चरखा उद्योग सिलाई बुनाई एवं खाद्य उद्योग से संबंधित सभी कार्य क्रमों का संचालन एवं प्रचार करना तथा गाँव के विकास के लिए सड़क भवन हैण्ड वर्क्स शौचालय एवं कपाट नई दिल्ली केसौजन्य सेसभी कार्य क्रमों का संचालनकरना ।

ɪ13ɪ न्यास कमिंसीयल इन्स्टीच्युट की स्थापना एवं इलेक्ट्रीनिक्स शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था करेगी आवास पी0सी0सी0 तालाब सामाजिक उत्प्रेरक शिविर इवाकरा कार्य क्रम का संचालन करना ।

ɪ14ɪ न्यास के कार्य क्षेत्र मे ग्रामीणों को आर्थिक नैतिक और सामाजिक स्तर

निबंधक जिला मुंगेर सत्यमेव जयते

53

को सुधारना ।

§15§ गरीबी कम करने तथा ग्रामवासीयों मे बेहतरिन जीवन स्तर आपसी सहयोग एवं एकता लाना और समानता खादी ग्रामोधोग कार्य क्रमों के क्रियान्वयन द्वारा ग्रामीण विकास करना सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक तथा साहित्य क्षेत्र मे राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी प्रगतिशील कदमों एवं निर्णयों का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन करनातथा देश विदेश कीउपलब्धियों से आम जनता को अवगत करना पुस्तकालय वाचनालय चिकित्सालय मातृ शिक्षा केन्द्र परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन का कार्य करनाबिना माँ- बाप के गरीब एवं अन्य वर्गों की व्यक्तियों कीशादी की व्यवस्था करना ।

§16§ साहित्य का प्रचार प्रसार करना प्रकाशन का कार्य करना एवं हिन्दी संगीत शिक्षा काप्रशिक्षण तथा अभिनय कला का प्रशिक्षण देना तथा सांस्कृतिक कार्य- क्रमों का संचालनकरना ।

§17§ नवीनत टेक्नोलोजी का विकास करना एवं आम लोगों को इससे लाभान्वित करना ।

§18§ औधोगिक प्रशिक्षण तथाउत्पादन कार्य शताबन्दी समारोह विकलांगों का प्रशिक्षण एवं पुनर्वास मंद बुद्धि के बच्चों के शिक्षण तथा पुनर्वास इत्यादि कार्य क्रमों का संचालन करना ।

जिला अवर निबंधक कोडरमा सत्यमेव जयते मुहर

55

(17) व्यायाम शाला , पुस्तकालय वाचनालय एवं अखाड़ा का संचालन करना ।

(20) महिलाओं के शोषण का अन्त करना उनके सामाजिक उत्पीडन को दूर करना तथा इसके लिए उन्हे विभिन्न स्तरों पर कानूनी सहायता उपलब्ध करना तथा उनके समुचित विकासार्थ अनेकों कार्य क्रमों का संचालन करना ।

(21) बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का समुचित प्रयास करना तथा इसके सरकारी एजेंसियों को सहायता प्रदान करना ।

(22) राज्य सरकार अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमिशन आई0 डी0 पी0 आई0 नावार्ड विभिन्न एजेंसियों सरकारी बैंको राष्ट्रीय बैंको विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा निगमों से सभी प्रकार का ऋण तथा अनुदान प्राप्त करना ।

(23) पशु कल्याण पशु बंध्याकरण पालतु तथा आवारा जानवरों की सुरक्षा हेतु कार्य क्रमों का संचालन करना ।

(24) सौर्य ऊर्जा विद्युत उर्जा कोयला उर्जा गोबर उर्जा बायो गैस एवं गैर पारंपरिक उर्जा श्रोतों - सूर्य उर्जा के बारे में तथा सभी प्रकार के उर्जा के बारे में युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर निर्माण करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों

जिला अवर निबंधक कोडरमा सत्यमेव जयते मुहर

मे उपयोग कराना तथा उन्नत चुल्हों का निर्माण कराना तथा ग्रामीणों उपयोग करने का प्रशिक्षण देना ।

(25) ऊन्न बनाना सूता बनाना रेशम का कीड़ा पालन रेशम का कपड़ा बुनाई करना ऊर्न से कम्बल एवं जयपुरी चादरों का पैंथी कपड़ो एवं खादी कपड़ो का निर्माण करना ।

(26) यातायात के साधन जुटाना एवं पर्यटन द्वारा यात्री लोगों का सुविधा जुटाना ।

(27) ग्रामीण क्षेत्र में रोड़ नाला नाली एवं पी० सी० सी० रोड़ का निर्माण कराना

(28) टी० बी० रोग क्षय रोग,तथा अनेक प्रकार के भयंकर बीमारियों का सूची बना कर अनुदानित चिकित्सा करवाना एवं साधन जुटाना एवं सरकार द्वारा उप केन्द्र स्थापित करवाना ।

(29) आलू, पपीता , केला , नींबू ओल , प्याज तथा अन्य प्रकार के सब्जियों का उपज के लिए किसानों का मार्ग दर्शन कराना ।

(30) जल छाजन का कार्य को पूरे क्षेत्र मे संचालनकरना ।

(31) प्राकृतिक आपदा स्थिति में जैसे बाढ़, सुखाड, भूकम्प, महामारी या अन्य प्राकृतिक आपदा मे सहायता प्रदान करना ।

हमलोग अधोहस्ताक्षरित इस स्वयं सेवी न्यास वीर झारखण्ड विकास मंच न्यास को इंण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाते हैं ताकि उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके ।

(32) गठित न्यास का संचालन न्यासियों द्वारा किया जायगा ।

न्यासियों का विवरण

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पेशा	पता
1	श्रीमती निलम प्रजापति	अरुण पंडित	अध्यक्ष	समाजसेवी	ग्राम-चेचाई, पो0-करमा थाना व जिला-कोडरमा ।
2	श्री भोला प्र0 यादव	स्व0मानिक महतो	सचिव	,,	ग्राम-लोचनपुर, पो0-थाना व जिला-कोडरमा।
3	श्रीमती शीला देवी	श्री सुभाष रजक	कोषाध्यक्ष	,,	ग्राम-लोचनपुर, पो0-थाना व जिला-कोडरमा।
4	श्री अजय कुमारवर्मा	श्री राजकुमार प्र0 वर्मा	स्थायी	,,	ग्राम- लोचनपुर, पो0-थाना -जिला-कोडरमा
5	श्रीमती सलेमी टोपो	अनील हांसदा	सदस्य	,,	ग्राम-चेचाई, पो0-करमा थाना व जिला-कोडरमा
6	श्री मधुसूदनठाकुर	स्व0 सत्यनारायण ठाकुर	सदस्य	,,	ग्राम-लोचनपुर, पो0थाना व जिला-कोडरमा।

(1) भोला प्रसाद यादव (2) नीलम प्रजापति (3) शीला देवी (4) अजय कुमार वर्मा (5) मधुसूदन ठाकुर (6) सलेमी टोपो

जिला अवर निबंधक कोडरमा

61

7. हरि शंकर मौर्य श्री अर्जुन प्रसाद सदस्य ग्राम- लोचनपुर, पो0 थाना- व जिला- कोडरमा।

हम प्रमाणित करते हैं कि न्यास का स्मृति पत्र की यह सच्ची प्रतिलिपि है

" न्यास का नियमावली "

1. न्यास का नाम :- वीर झारखण्ड विकास सेवा मंच न्यास

2. परिभाषा :-

(क) न्यास से अभिप्राय है:- वीर झारखण्ड विकास सेवा मंच न्यास ।

(ख) पदाधिकारी(गण) से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव , कोषाध्यक्ष ।

(ग) वर्ष से अभिप्राय है :- पहली अप्रैल / से 31 मार्च तक ।

(घ) एक्ट से अभिप्राय है :- भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882.

आय का श्रोत

1. देशी / विदेशी या सरकारी / गैर सरकारी व्यक्ति/ व्यक्तियों और संस्था संस्थाओं से प्राप्त दान , चंदा एवं अनुदान ।

2. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय समाज सेवा / संस्थाओं सरकारों द्वारा परियोजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त राशि।

3. विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के संचालन तथा संस्था द्वारा सम्पादित कार्यों से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क ।

63

(4) विविध विभागों से प्राप्त अंकित अनुदान एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग अथवा इससे संबंधित अन्य संस्थाओं या अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण ,दान या अनुदान ।

(5) सांस्कृति कार्य क्रम या सेवा शुल्कतथा संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्राप्तआय व्यक्ति विशेष से प्राप्त चंदा दान या अनुदान ।

(6) न्यास में सात अधिकारी एवं सदस्य मिल कर कुल 5600/- रुपया जमा किया है। रुपया वीर झारखण्ड विकास मंच के नाम समाज रहेगा तथा एक्ट 1882 भारतीय ट्रस्ट के अधिन निबंधन होगा ।

निधि का अंकेक्षण

न्यास के आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखाजायेगा ।

पंजी का निरीक्षण

संस्था कीसभी पंजियां पंजीकृत कार्यालय मेउपलब्ध होगी हाँ कोई भी अधिकृत व्यक्ति या सदस्य सचिव की अनुमति से पंजीयों का निरीक्षण कर सकता है ।

कानूनी कार्रवाई

न्यास की ओर से अथवा संस्था के विरुद्ध सारी कानूनी कार्रवाई सचिव के नाम से होगा ।

निबंधक कोडरमा सत्यमेव जयते मुहर

65

नियमावली में संशोधन

न्यास की नियमावली में किसी तरह का संशोधन या सर्वधन आम सभा का दो तिहाई 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर किया जा सकता है।

न्यास की विघटन या सम्पति की व्यवस्था

यदि किसी कारण वश न्यास का विघटन करना पड़े तो न्यास के दो तिहाई 2/3 सदस्यों द्वारा पारित करना अनिवार्य होगा और विघटन के उपरांत ऋण तथा सारी जवाबदेहियों के भुगतान के बाद जो सम्पति बच जायेगी वह सदस्यों या गैर सदस्यों में नही बांटी जायगी बल्कि समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं या न्यासों या सरकार को समर्पित कर दी जायेगी।

हम प्रमाणित करते हैं कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है एवं उपरोक्त निर्णय हमारे सामने लिया गया है।

क्रमांक नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
(1) श्रीमती निलम प्रजापति	अध्यक्ष	नीलम प्रजापति
(2) श्रीभोलाप्रसाद यादव	सचिव	भोला प्रसाद यादव
(3) श्रीमती शीला देवी	कोषाध्यक्ष	शीला देवी
(4) श्री अजय कुमार वर्मा	न्यासी	अजय कुमार वर्मा
(5) श्रीमती सलोमी टोपो	न्यासी	सलोमी टोप्पो
(6) श्री मधुसुदन ठाकुर	न्यासी	मधुसूदन ठाकुर
(7) हरि शंकर मौर्य	न्यासी	हरिशंकर मौर्य

शीला कान्ती 12/10/02

जिला अवर निबंधक कोडरमा सत्यमेव जयते मुहर

23/10/02

E पृष्ठों में प्रतिलिपि मिलानकर्ता

20/1/2021

4 वा.जि.नि. कोडरमा 20-1-2021